न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2022
आरसीएमएस नं0 2022/24
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

1. शबीर खां पुत्र स्व0 अमीन खां जाति गुजर निवासी 3 एलके ढाणी लखुवाली तहसील व हनुमानगढ।
2. जमील पुत्र स्व0 अमीन खां जाति गुजर निवासी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सायरा पुत्री स्व0 अमीन खां पत्नी यूनस अली जाति गुजर निवासी वार्ड नं. 2 लखुवाली तह0 व जिला हनुमानगढ।
4. बशीरा पत्नी स्व0 आमीन खां जाति गुजर निवासी 3 एलके ढाणी ग्राम पंचायत लखुवाली तहसील हनुमानगढ।
5. शमशाद खां पुत्र स्व0 सलीम जाति गुजर निवासी वार्ड नं. 38 रूपनगर तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. नूरसाद खां पत्रु स्व0 सलीम जाति गुजर निवासी वार्ड नं. 38 रूपनगर तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. बलकीशा पुत्र स्व0 सलीम पत्नी मुनसफ अली जाति गुजर निवासी चक 11–12 आर पी ग्राम पंचायत 1 एसटीबी तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. नसीम पुत्री स्व0 सलीम पत्नी मुमताज जाति गुजर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. वसीम अकरम पुत्र शबीर खान जाति गुजर निवासी वार्ड नं. 2 लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. मोहम्मद शकील पुत्र शबीर खान जाति गुंजर निवासी वार्ड नं0 2 लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.01.2022

द्वारा सहायक कलक्ट एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्रकरण संख्या 337 / 2021 बअनवानी वसीम अकरम बनाम शबीर खान

श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांकः– 29.6.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 व 188 के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट वादीगण के दादा अमीन खां के नाम दर्ज चक 3 एलके खाता संख्या 8 / 8 की 6.325 है0 में से अमीन खां की 4 बीघा 10 बिस्वा व इसी चक के खाता संख्या 27 / 29 की 7.464 है0 व दोनों खातों की 13.789 है0 में 2.340 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था व उनकी माता की देखभाल करना छोड़ दिया था। इसलिए दादा ने मोहम्मद शकील के जन्म दिवस पर 3 एलके प0 नं0 150 / 372 मुरब्बा नं0 13 किला नं. 18 व 23 कुल 2 बीधा भूमि जुबानी गिफट (हिब्बा) हम दोनों भाईयों में नाम करवा दिया। दादा की मृत्यु के बाद उनकी आराजी का विरास्तन इंतकान होना है। मगर पिता रेस्पोडेण्ट वादीगण का हिस्सा मारने की नियत से आराजी को खुर्द बुर्द व मुतकिल करना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने उपरारोक्त भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि प्रश्नगत भूमि अमीन खां की संयुक्त खाता की भूमि में हक हिस्से की भूमि में से किसी विशिष्ट किला का हिब्बा करने का अधिकार था व ना ही अप्रार्थीगण के जीवन काल में कोई अधिकार प्राप्त होते हैं। हम अप्रार्थीगण मुस्लिम विधि के अनुसार ही इन्तकाल दर्ज होना है प्रार्थी को स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायायल ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए चक 3 एलके के खाता संख्या 8 / 8 व 27 / 29 में स्व0 श्री अमीन खां के नाम [illegible] भूमि 2.340 है0 में से 0.506 है0 को छोड़ते हुए शेष भूमि [illegible] वारिसान नामान्तरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करवाने के लिए स्वतंत्र किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भिजवाये गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि अमीन खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 का हक हिस्सा है। स्व अमीन खां ने कभी भी अपने जीवन काल में कोई हिब्बा नहीं किया था ना ही स्व अमीन खां को संयुक्त खाता व बैंक के रहन दर्ज भूमि का हिब्बा करने का कोई अधिकार प्राप्त है। ना ही हिब्बा करवाया गया एवं ना ही मौके पर भूमि का कब्जा दिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रही है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. रेस्पोडेण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में प्रश्नगत भूमि अमीन खां द्वारा अपने नाम से हिब्बा करने का कथन किया है। जबकि अपीलाण्ट ने अमीन खां द्वारा किसी का प्रकार हिब्बा नहीं करने का कथन किया है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। जिसमें किसी विशिष्ट किले का हिब्बा नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित होते हैं। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए चक 3 एलके के खाता संख्या 8/8 व 27/29 में स्व0 श्री अमीन खां के नाम की कुल भूमि 2.340 है0 में से 0.506 है0 को छोड़ते हुए शेष भूमि 1.834 है0 की तक विरास्तन इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अमीन खां द्वारा प्रश्नगत भूमि का हिब्बा किया गया अथवा नहीं इसके संबंध में उभयपक्ष द्वारा अपने अपने दस्तावेजी एवं गवाहान के माध्यम से ही साबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है कि हिब्बा के संबंध में उभयपक्षों को सा[illegible]ई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:19 IST
Reason: SelfAttested

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेशदिनांक 25.01.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हिब्बा के संबंध में उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/6/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:19 IST
Reason: SelfAttested